24/8/19 उक्त पत्रा० उपस्थित हेतु पत्रावली वास्ते उपस्थित दिनांक 13/09/19 को पेश हो।

13/09/19 उक्त पत्रा० उपस्थित पेश हुई [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हो। [illegible] [illegible] [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Noted
[illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : रामावतार कुमावत, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 58 दायर दिनांक : 10.04.2019

1. कलावन्ती पत्नी स्व. रामलाल
2. मोतीराम
3. केसरीदेवी — पुत्र/पुत्रीयान स्व. रामलाल — अकवाम कुम्हार निवासीयान चक 26 पी.बी.एन. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. सीतादेवी
5. जगदीश
6. नेतराम

—वादीगण

बनाम

1. सन्तरोदेवी पुत्र स्व. रामचन्द्र पत्नी मनफूलराम जाति कुम्हार निवासी लाडुवाली (हुणतपुरा) तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. मनीराम पुत्र स्व. रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी चक 22 एम.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
3. गुड्डीदेवी पुत्र स्व. रामचन्द्र पत्नी सोहनलाल जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. हेतराम
5. रामकरण — पुत्रगण स्व. रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासीयान 26 पी.बी.एन. तहसील पीलीबंगा
6. राजाराम पुत्र स्व. रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी गोलूवाला तहसील पीलीबंगा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार, अभिभाषक वादीगण
2. श्री प्रमोद सहाय, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 13.09.2019

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के पिता/दादा/ससुर रामचन्द्र पुत्र चुनीराम के नाम से वाके चक 28 पी.बी.एन.'ए' की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता सं. 124/112 के पत्थर नं. 37/343 (8) के किला नं. 1 ता 25 = 6.325 है0 अनकमाण्ड–बारानी मय खाला कृषि भूमि गैरखातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसकी खातेदारी सनद दिनांक 02.12.1978 को श्रीमान् जिलाधीश, श्रीगंगानगर से जारीशुदा है। उक्त रकबा रामचन्द्र पुत्र चुनीराम को भाखड़ा परियोजना उपनिवेशन विभाग द्वारा आवंटितशुदा रकबा है। रामचन्द्र का स्वर्गवास हो चुका है, उनकी मृत्यु उपरान्त कुल 7 जायज वारिस हैं व वादीगण के पति/पिता रामलाल पुत्र रामचन्द्र का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके कुल 6 जायज वारिस हैं। इस प्रकार उक्त वर्णित रकबा में वादीगण का 1/7 हिस्सा ब.हि.ब. व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 का 1/7–1/7 हिस्सा कानूनी बनता है। वादीगण ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 को तहसील में चलकर उक्त रकबा में से अपने–अपने हिस्सा के मुताबिक रकबा अपने नाम करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट इन्कार हो गये, इसलिए वादगण ने जैरवाद रामचन्द्र के नाम के उक्त रकबा में वादीगण को 1/7 हिस्सा ब.हि.ब. व प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 ने जरिये अभिभाषक इकबालदावा प्रस्तुत कर वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए वाद वादीगण स्वीकार करने का निवेदन किया। इकबाल दावा प्रस्तुत होने पर तनकी की आवश्यकता नहीं होने पर तनकीयात कायम नहीं की गयी। साक्ष्य पक्षकारान लिये गये। साक्ष्य वादी में वादी सं. 5 ने शपथ–पत्र पर अपने स्वयं के बयान करवाये, जिस पर अभिभाषक प्रतिवादीगण ने जिरह की। वादीगण और साक्ष्य नहीं कराना चाहते, इसलिए साक्ष्य वादीगण बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी सं. 4 ने शपथ–पत्र पर अपने स्वयं के बयान करवाये, जिस पर अभिभाषक वादीगण ने जिरह की। साक्ष्य प्रतिवादीगण और नहीं

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

कराना चाहते, इसलिए साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये गये। बाद आने साक्ष्य तर्क सुने गये।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व वाद के साथ संलग्न जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति, खातेदारी सनद सं. 15969 दिनांक 02 दिसम्बर 1978, आवंटन आदेश की प्रति, मृत्यु प्रमाण–पत्र रामचन्द्र पुत्र चुनीराम, लिछमादेवी पत्नी रामचन्द्र, रामलाल पुत्र रामचन्द्र, वारिस प्रमाण–पत्र रामलाल पुत्र रामचन्द्र की प्रतियों का अवलोकन करवाते हुए निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता/दादा/ससुर रामचन्द्र पुत्र चनीराम जाति कुम्हार निवासी करनीसर के नाम से चक 1 के.एस.आर. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 37/343 के किला नं. 1 ता 25 का 25 बीघा अनकमाण्ड रकबा राजस्थान में भाखरा सिंचाई परियोजना का नहर करनीसर माइनर के क्षेत्र के अन्तर्गत आवंटित किया गया जिसकी खातेदारी सनद सं. 15969 श्रीमान् जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा 02 दिसम्बर 1978 को आवंटिती रामचन्द्र के नाम से जारी की गयी। तदोपरान्त चक 1 के.एस.आर. का उक्त रकबा चक 28 पी. बी.एन.'ए' में पैमूद हुआ जो वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 चक 28 पी. बी.एन.'ए' तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 124/112 में रामचन्द्र वल्द चुनीराम के नाम अंकित है जिस पर आवंटन से लेकर रामचन्द्र के जीवनकाल में रामचन्द्र का व वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता/दादा/ससुर रामचन्द्र एवं वादीगण के पति/पिता रामलाल की मृत्यु उपरान्त उक्त रकबा पर वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 का बतौर वारिस लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है, इसलिए वादीगण ने जैरवाद रामचन्द्र पुत्र चुनीराम के नाम के उक्त रकबा में वादीगण को 1/7 हिस्सा ब.हि.ब. व प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 ने इकबाल दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण स्वीकार करने की प्रार्थना की। राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज ने अपनी बहस में राज्य हितों को सुरक्षित रखते हुए निर्णय करने की प्रार्थना की।

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया व प्रस्तुत साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन व मनन किया। प्रस्तुत साक्ष्य अनुसार मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 चक 28 पी.बी.एन. 'ए' तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 124/112 में अंकित कुल 6.325 है0 अनकमाण्ड–बारानी मय खाला भूमि रामचन्द्र वल्द चुनीराम कौम कुम्हार के नाम से गैरखातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसकी खातेदारी सनद सं. 15969 सक्षम अधिकारी द्वारा जारीशुदा है। आवंटिती वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता/दादा/ससुर रामचन्द्र व वादीगण के पति/पिता रामलाल की मृत्यु हो चुकी है जिनकी मृत्यु उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण जैरवाद रकबा पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 द्वारा इकबाल दावा प्रस्तुत किया जा चुका है। इकबाल दावा व बहस में विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। वाद वादीगण स्वीकार किये जाने से राज्य हितों को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता, इसलिए वाद वादीगण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर जैरवाद भूमि रामचन्द्र पुत्र चुनीराम के नाम से वाके चक 28 पी.बी.एन.'ए' की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता सं. 124/112 के पत्थर नं. 37/343 (8) के किला नं. 1 ता 25 = 6.325 है0 अनकमाण्ड–बारानी मय खाला कृषि भूमि में से वादीगण को 1/7 हिस्सा का बहिस्सा बराबर व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 को 6/7 हिस्सा का ब.हि.ब. खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व उक्त घोषणा अनुसार तहसीलदार सूरतगढ़ को राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **13.09.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner